कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक- 30-09-2025 **"ऑपरेशन कनविक्शन"** **थाना- चोलापुर**

जनपद में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" व मिशन शक्ति फेज़- 05 अभियान के क्रम में कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)-द्वितीय द्वारा 20 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹25,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान "ऑपरेशन कनविक्शन" के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा निरंतर समीक्षा और मार्गदर्शन दिया जा रहा था। कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना चोलापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 0097/2020 धारा 376(3) भादवि व 5g/6 पॉक्सो एक्ट में आज दिनांक 30.09.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)-द्वितीय द्वारा साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त भरोष पुत्र जुरानी निवासी दशनीपुर थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹25,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त को सजा दिलाने में कमिश्नरेट वाराणसी के निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

विशेष लोक अभियोजक
संतोष कुमार सिंह

निरीक्षक हरिनारायण पटेल
तत्कालीन थाना प्रभारी

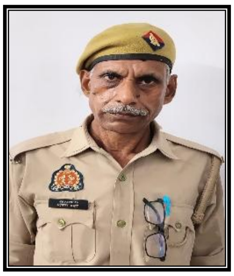

का0 भद्रेश्वर प्रसाद
पैरोकार चोलापुर

कोर्ट मोहरिल अंशु पांडेय
पॉक्सो 2 वाराणसी।